संख्या: 31011/6/85-स्था॰(क)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक, 20 जून, 1986

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह मंत्रालय के दिनांक 4 सितम्बर, 1957 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 43/5/57-स्था0 (क) में उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारी निम्नलिखित शर्तों के अधीन छुट्टी यात्रा रियायत के लिए पात्र होंगे:-

(i) ऐसे कर्मचारियों के मामले में दो कैलेण्डर वर्षों के क्रमिक ब्लाकों की गणना उनके द्वारा केन्द्र के अधीन पदों का कार्यभार ग्रहण किए जाने की वास्तविक तारीख से की जाएगी ।

(ii) उपयुक्त प्रशासनिक प्राधिकारी संबंधित सरकारी कर्मचारियों द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत लिए जाने के समय यह प्रमाणित करे कि उक्त कर्मचारी द्वारा, केन्द्रीय सरकार के अधीन अपने पद के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक, केन्द्रीय सरकार की सेवा में बने रहने की सम्भावना है । बाद के दो वर्षों के दौरान भी ऐसी रियायत की स्वीकार्यता इसी प्रकार की शर्त के अधीन होगी । चार वर्षों के ब्लाक में, एक बार भारत में किसी भी स्थान के लिए छुट्टी यात्रा रियायत के बारे में तदनरूपी उपबन्ध कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 3.2.79 के कार्यालय ज्ञापन संख्या: 31011/2/75-स्था0(क) में कर दिया गया है ।

2. 4.9.1957 के अनुदेश उस वक्त जारी किए गए थे जबकि कुछ राज्यों में उनकी अपनी छुट्टी यात्रा रियायत योजना थी । अब स्थिति बदल गई है, चूंकि अब सभी राज्य सरकारों के पास अपने कर्मचारियों के लिए अपनी-अपनी छुट्टी यात्रा रियायत योजना है । अत: केन्द्रीय सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत की स्वीकार्यता के संबंध में, स्थिति की पुनरीक्षा की गई है तथा यह निर्णय लिया गया है कि आगे से केन्द्रीय सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस आशय का विकल्प देने की छूट होगी कि वे या तो राज्य सरकार के छुट्टी यात्रा रियायत

नियमों द्वारा शासित होते रहना चाहेंगे या केन्द्रीय सरकार के छुट्टी यात्रा रियायत नियमों के अधीन आना चाहेंगे, जैसा भी वे चुनें । एक बार दिया गया ऐसा विकल्प प्रतिनियुक्ति की पूरी अवधि के लिए अन्तिम होगा । जहां केन्द्रीय सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के छुट्टी यात्रा रियायत नियमों के द्वारा शासित होते रहने का विकल्प देते हैं वहां उनके छुट्टी यात्रा रियायत के दावे राज्य सरकार के नियमों के अधीन विनियमित किए जाएंगे तथा उनका खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा । तथापि, यदि वे केन्द्रीय सरकार के नियमों द्वारा शासित होने का विकल्प देते हैं तो उन्हें दी जाने वाली छुट्टी रियायत की स्वीकार्यता, गृह मंत्रालय के ऊपर उल्लिखित दिनांक: 4 सितम्बर, 1957 के कार्यालय ज्ञापन संख्या: 43/5/57-स्था(क) तथा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 3-2-79 के कार्यालय ज्ञापन संख्या: 31011/2/75-स्था(क) के उपबन्धों द्वारा विनियमित की जायगी ।

2. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्णय को अपने नियंत्रणाधीन सभी प्राधिकारियों की जानकारी में ला दें ।

ए. जयरामन
(ए. जयरामन)
निदेशक (स्थापना)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित)

संख्या: 31011/6/85-स्था0(क) नई दिल्ली, दिनांक 20 जून, 1986

प्रतिलिपि सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित, निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
4. रजिस्ट्रार, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
5. भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त, इलाहाबाद ।
6. लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
7. सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय ।
6. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी तथा अनुभाग ।

ए. जयरामन
(ए. जयरामन)